'सभी ने पवार साहेब से राकांपा प्रमुख के पद पर बने रहने का अनुरोध किया और उनसे फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की।'

—— अनिल देशमुख, राकांपा नेता

'बालासाहेब की तरह पवार साहेब भी राज्य की राजनीति की आत्मा हैं।'

—— संजय राउत, शिवसेना (यूबीटी) नेता

पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता आयोजित

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली विश्वविद्यालय के राजधानी कॉलेज में लाइब्रेरी क्लब ने पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता आयोजित की जिसका शीर्षक राष्ट्र निर्माण में पुस्तकालय की भूमिका था। इस आयोजन का उद्देश्य छात्रों में पुस्तकालय के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उनका राष्ट्र निर्माण में महत्व को समझाना था। प्रतियोगिता के संयोजक डा. संजीव कुमार शर्मा ने राष्ट्र निर्माण में पुस्तकालय के महत्व को बताया।

प्रतियोगिता में डीयू के विभिन्न कॉलेजों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों द्वारा बनाए गए पोस्टर विषयवस्तु के अनुरूप होने को साथ साथ संवैधानिक महत्व, मानवाधिकार, आर्थिक विकास, पर्यावरण और ऐतिहासिक बदलाव आदि पर भी आधारित थे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के कॉलेज के प्रबंध समिति के अध्यक्ष प्रो. आशुतोष भारद्वाज रहे और इनका स्वागत प्राचार्य प्रो. डा. राजेश गिरी और पुस्तकालयाध्यक्ष डा. संजीव कुमार शर्मा ने किया। प्रो.आशुतोष भारद्वाज ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए पुस्तकालय के महत्व के विभिन्न आयामों के बारे में चर्चा की। इस प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में डा. सुरभि खन्ना और डा. मानसी रही और उन्होंने विद्यार्थियों के प्रयास और रचनात्मकता की सराहना की और विजेताओं को बधाई दी।

मंगलवार को जंतर-मंतर पर धरना-प्रदर्शन के दौरान मीडिया को संबोधित करते पहलवान बजरंग पुनिया, विनेश फोगट और साक्षी मलिक (ऊपर) व पहलवानों के समर्थन में पहुंचे बीकेयू नेता (दाएं) राकेश टिकैत। *फोटो : प्रेट्र/अनिल सिन्हा*

360 गांवों के प्रतिनिधि करेंगे पहलवानों का समर्थन : आप

नई दिल्ली (भाषा)। आम आदमी पार्टी (आप) ने मंगलवार को कहा कि पार्टी के विधायकों और पार्षदों सहित दिल्ली के 360 गांवों के प्रतिनिधि जंतर-मंतर पर जाकर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के साथ एकजुटता प्रकट करेंगे। दिल्ली में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में 'आप' की दिल्ली इकाई के संयोजक गोपाल राय ने कहा कि जिन पहलवानों ने देश का नाम रोशन किया है, आज वह विपरीत दौर से गुजर रहे हैं। पहलवान पिछले महीने की 23 तारीख से भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर खिलाड़ियों का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।

- पहलवानों का समर्थन करने धरना स्थल पहुंच रहे लोग
- आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही भाजपा : आप

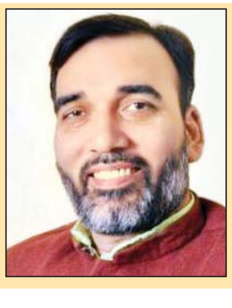

राय ने कहा, 'कल उन्होंने भारी बारिश के बावजूद धरना जारी रखा। प्रधानमंत्री के पास उनकी बात सुनने के लिए समय नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। खेल मंत्री भी उनकी गुहार सुनने को तैयार नहीं हैं।'उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) उनको बदनाम करने में व्यस्त है।

राय ने कहा, 'वे (भाजपा) आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वह पहलवानों तंबू व माइक लगाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। पूरा देश देख रहा है। लोग सोशल मीडिया के जरिए पहलवानों का समर्थन कर रहे हैं और जंतर-मंतर भी पहुंच रहे हैं।'

उन्होंने उन दिनों को याद किया जब किसान आंदोलन को कथित तौर पर दबाने की कोशिश की गई थी। राय ने कहा कि भाजपा नीत केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और तीन कृषि कानून वापस लेने पड़े।

उन्होंने कहा, 'कल प्रदर्शनकारी पहलवानों का समर्थन करने के लिए विधायकों और पार्षदों सहित दिल्ली के 360 गांवों के प्रतिनिधि पूर्वाह्न 11 बजे जंतर-मंतर जाएंगे।' प्रदर्शनकारी पहलवानों ने नाबालिग सहित सात खिलाड़ियों का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष सिंह के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग की है।

दिल्ली पुलिस ने सात महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर शुक्रवार को दो प्राथमिकी दर्ज की हैं। इससे पहले प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने महासंघ अध्यक्ष के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देने के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

डीयू में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में कोई विस्थापन न हो : इंटेक

नई दिल्ली (एसएनबी)। इंडियन नेशनल टीचर्स कांग्रेस (इंटेक) ने दिवंगत शिक्षक समरवीर के शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है। इंटेक के अध्यक्ष पंकज कुमार गर्ग ने कहा कि डीयू व कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में किसी का विस्थापन नहीं होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि ईसी संकल्प 2007 ने विभिन्न कॉलेजों में तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं। इसमें कहा गया है कि एडहॉक नियुक्ति चार महीने के लिए की जा सकती है। इसके दौरान कॉलेज को एक गठित चयन समिति के माध्यम से स्थायी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। लेकिन, कॉलेजों द्वारा लगातार दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया गया और तदर्थ शिक्षकों को कई वर्षों तक अपने-अपने पदों पर काम करना जारी रखा गया। प्रो. गर्ग ने कहा कि इन तदर्थ शिक्षकों की कोई गलती नहीं होने के कारण, उनमें से अधिकांश ने लंबे समय तक काम किया। इस दौरान कॉलेजों ने कई बार अपने शिक्षण पदों का विज्ञापन निकाला, लेकिन कोई चयन समिति नहीं बनाई। 2016 में दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने तदर्थ शिक्षकों को उनके संबंधित शिक्षण पदों के विरुद्ध समायोजन करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया, जिस पर वे काम कर रहे थे। इंटेक ने समायोजन की मांग का पुरजोर समर्थन किया और एडहॉक शिक्षकों के समायोजन के लिए आयोजित सभी कार्यक्रम कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के भाग लिया। उन्होंने कहा कि जब एक लंबे समय से सेवा कर रहे तदर्थ शिक्षक एक कॉलेज से विस्थापन के बाद दूसरे कॉलेज में साक्षात्कार के लिए जाते है तो उन्हें यह कहकर अपमानित किया जाता है कि वे जिस कॉलेज में काम कर रहे थे, उसमें उनका चयन क्यों नहीं किया गया। इंटेक की मांग है कि जिन कॉलेजों में कार्यवाहक प्राचार्य हैं, वहां चयन समितियां जल्द की जाएं।

- कॉलेजों द्वारा लगातार दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया गया : इंटेक

जामिया व आईएसबी के बीच फॉरेस्ट इकोनॉमी पर करार

नई दिल्ली(एसएनबी)। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एजेके मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर ने फॉरेस्ट इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए अपने शोध संस्थान भारती इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी के माध्यम से इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण करार पर हस्ताक्षर किए।

करार के तहत दोनों संस्थाएं मिलकर वनवासियों को वन उपज के विपणन के तरीकों और साधनों के बारे में जानकारी प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाने के लिए काम करेंगी, जो उनकी आजीविका का प्राथमिक स्रोत है। वनवासियों को सूचना प्रसारित करने के लिए विभिन्न मास मीडिया तकनीकों और कार्यक्रमों का उपयोग किया जाएगा।

यह समझौता ज्ञापन एजेके एमसीआरसी औरआईएसबी-बीआईपीपी के बीच शैक्षणिक और ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, ताकि बड़े पैमाने पर आईएसबी-बीआईपीपी की पहल के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (सीएफआर) और महिला उद्यमों के लिए एक स्केलेबल तथा टिकाऊ वन अर्थव्यवस्था और आजीविका का विकास किया जा सके। इस मौके पर जामिया की वाइस चांसलर प्रो. नजमा अख्तर ने कहा कि सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह बहुत ही सकारात्मक कदम है।

- दोनों संस्थाएं मिलकर करेंगी वनवासियों को वन उपज, विपणन के तरीकों और साधनों की जानकारी प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाने का काम

पिता के नाम के बिना बच्चे का पासपोर्ट जारी करे प्राधिकरण : हाईकोर्ट

नई दिल्ली (एसएनबी)। विशेष परिस्थिति होने को देखते हुए हाईकोर्ट ने पासपोर्ट प्राधिकरण से एक नाबालिग बच्चे का पासपोर्ट उसके जैविक पिता के नाम के बिना बनाने का निर्देश दिया है। बच्चे के गर्भ में रहने के दौरान ही पिता ने उसके मां के साथ संबंध तोड़ लिए थे और कोई संपर्क नहीं रखा था।

न्यायमूर्ति प्रतिबा मनिंदर सिंह ने कहा, कुछ खास परिस्थितियों में पासपोर्ट से जैविक पिता का नाम हटाया जा सकता है और उपनाम भी बदला जा सकता है। इस मामले में कोई कठोर नियम लागू नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि माता-पिता के बीच वैवाहिक कलह के मामले में असंख्य स्थितियां हैं, जहां अधिकारियों को बच्चे के पासपोर्ट आवेदन पर विचार करना पड़ सकता है ।

न्यायमूर्ति ने कहा कि फरवरी 2022 में विदेश मंत्रालय के जारी पासपोर्ट मैनुअल 2020 और ऑफिस मेमोरेंडम (ओएम) में विशेष परिस्थिति होने की दशा में नाबालिग के पासपोर्ट से पिता के नाम को हटाने की अनुमति देता है। कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि ओएम केवल एकल अविवाहित माता-पिता पर लागू होगा।

कोर्ट एक अकेली मां और उसके नाबालिग बच्चे की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें बच्चे के जैविक पिता का नाम उसके पासपोर्ट से हटाने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि पिता ने महिला को गर्भावस्था के दौरान छोड़ दिया था। दोनों के बीच के समझौते से पता चला कि न तो महिला और न ही बेटे को कोई गुजारा भत्ता या रखरखाव दिया गया था। बच्चे की परवरिश मां के पास होनी थी। कोर्ट ने कहा कि इस मामले की अजीबोगरीब परिस्थितियों को देखते हुए यह निर्देश दिया जाता है किबच्चे के पिता का नाम पासपोर्ट से हटा दिया जाए और बिना पिता के नाम वाले नाबालिग बच्चे के पक्ष में पासपोर्ट फिर से जारी किया जाए। उसने यह भी स्पष्ट कर दिया कि इस आदेश को मिसाल के तौर पर नहीं माना जाएगा।

- बच्चे के गर्भ में रहने के दौरान ही पिता ने उसकी मां के साथ संबंध तोड़ लिए थे
- कुछ खास परिस्थितियों में पासपोर्ट से जैविक पिता का नाम हटाया जा सकता है, उपनाम बदला जा सकता है : हाईकोर्ट
- कोर्ट ने किया खारिज कि ओएम केवल एकल अविवाहित माता-पिता पर लागू होगा

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को यह सूचित किया जाता है कि राजनीतिक दल बहुजन चेतना विकास मोर्चा के नाम से रजिस्ट्रेशन होना प्रस्तावित है। पार्टी कार्यालय सी-8, कचनार सिटी, पोस्ट-विजयनगर, जबलपुर, मध्यप्रदेश-482001 में स्थित है इस दल ने लोक प्रतिनिधित्व लिये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-29ए के तहत भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली को आवेदन प्रस्तुत किया है। पार्टी के पदाधिकारियों के नाम/ पता नीचे दिये गये है। 1. अध्यक्ष- खेमराज झारिया, रायपुर, छत्तीसगढ़ 2. महासचिव- नरेन्द्र कुमार दास, जबलपुर, मध्यप्रदेश 3. कोषाध्यक्ष- मनोहर डेहरिया, सिवनी, मध्यप्रदेश। यदि किसी को बहुजन चेतना विकास मोर्चा पार्टी के रजिस्ट्रीकरण में कोई आपत्ति हो तो, अपनी आपत्ति इसके कारणों सहित, सचिव (राजनीतिक दल), भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक मार्ग, नई दिल्ली-110001 को, इस सूचना प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर भेजे।

(खेमराज झारिया)- अध्यक्ष
बहुजन चेतना विकास मोर्चा

उ.प्र.पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड

ई-निविदा आमंत्रण सूचना : विद्युत 400 के.वी.उपकेन्द्र खण्ड-प्रथम मुरादनगर के अन्तर्गत ई-निविदा संख्या-टी-02/2023-24 हेतु निविदा ऑनलाईन आमंत्रित की जाती है। निविदा शुल्क, धरोहर राशि, आदि जानकारी हेतु वेबसाईट www.etender.up.nic.in पर लॉगऑन करें निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार अधिशासी अभियंता विद्युत 400 के.वी. उपकेन्द्र खण्ड-प्रथम मुरादनगर के पास सुरक्षित रहेगा तथा टेण्डर निरस्त होने की स्थिति में निविदा शुल्क वापिस नहीं की जायेगी। ''राष्ट्र हित में बिजली बचाएं'' अधिशासी अभियंता विद्युत 400 के.वी. उपकेन्द्र खण्ड, मुरादनगर (गाजियाबाद) पत्रांक : 303 वि.400 के.वी.उ.(मु.)/टी-02 दिनांक : 02.05.2023

PUBLICATION
PROCLAMATION REQUIRING ATTENDANCE OF DEFENDANT
(Order 5, Rule 20 of the Code of Civil Procedure)

IN THE COURT OF SH UMED SINGH GREWAL DISRTICT JUDGE COMMERCIAL- 05, CENTRAL, ROOM NO. 22, TIS HAZARI COURTS, DELHI
Case No. CS (COMM.)-197/2023
NDOH : 22.05.2023

ICICI BANK LTD. ...Plaintiff
Vs.
BLACK MOUNTAIN INTERNATIONAL PVT. LTD. ...Defendant

To
BLACK MOUNTAIN INTERNATIONAL PVT. LTD., THROUGH ITS DIRECTOR SH. SANJAY SINGH, 1093, MEERUT ROAD, VIKAS NAGAR, OPPOISITE UTTAM TOYOTA, SHOWROOM GHAZIABAD- 201001

The defendant above named WHEREAS you are intentionally evading service of summons, it is hereby notified that in case you do not defend the case which is fixed on the **22.05.2023 at 10.00 A.M.** it will be heard in your absence and determined ex-party as per law.
Given under my hand and seal of this court on **25.04.2023.**

District Judge
Commercial Court - 05
(Central) Tis Hazari Courts, Delhi

कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड

पंजी.त कार्यालय : 27, बीकेसी, सी–27, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400051
शाखा कार्यालय : 1/11, प्रथम तल, पूर्वी पटेल नगर, नई दिल्ली –110 008 **कॉर्पोरेट पहचान संख्या –** L65110MH1985PLCO38137

शुद्धिपत्र

कृपया **मैसर्स पेट्रोल्यूब इंडिया लिमिटेड (परिसमापनाधीन)** के संबंध में इस समाचार पत्र में दिनांक **29–04–2023** को प्रकाशित **अचल सम्पत्तियों की ई–नीलामी बिक्री सूचना** के संदर्भ में देखें। नियम एवं शर्तों में क्र. सं. 1 में ई–नीलामी की तिथि असावधानी के कारण 12 मई, 2023 वर्णित की गई है, जबकि यह **15 मई, 2023** के रूप में पढ़ी जानी चाहिए। अन्य विवरण यथावत रहेगा।

स्थानः दिल्ली — **कृते कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड,**
तिथि : 03–05–2023 — **प्राधि.त अधिकारी**

सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड

CUB TRUST AND EXCELLENCE SINCE 1904

ऋण वसूली और प्रबंधन विभाग
प्रशासनिक कार्यालय : नंबर 24–बी, गांधी नगर, कुम्बकोणम – 612 001,
ई–मेल आईडी : crmd@city@cityunionbank.in, **फोन :** 0435–2432322, **फैक्स :** 0435–2431746

कब्जा सूचना का शुद्धिपत्र

हम हमारी कब्जा सूचना दिनांकित 28–04–2023 का संदर्भ ले रहे हैं, जो **"राष्ट्रीय सहारा"** समाचारपत्र (नई दिल्ली संस्करण) में **01–05–2023** को प्रकाशित हुई थी। डीकेबी ऑप्टीकल्स के खाते में (श्री योगेन्द्र पुत्र हरि ओम गुप्ता द्वारा स्वाधिकृत सम्पत्ति) पहले पैरा में आधा हिस्सा के स्थान पर पूरा हिस्सा पढ़ें। **अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित हैं।**

स्थान : कुम्बकोणम, **तिथि :** 02–05–2023 — **प्राधिकृत अधिकारी**

पंजी. कार्यालय : 149, टी.एस.आर. (बिग) स्ट्रीट, कुम्बकोणम, तंजावुर जिला, तमिलनाडु – 612 001, सीआईएन – L65110TN1904PLC001287, **फोन नंबर :** 0435 – 2402322, **फैक्स :** 0435 – 2431746, **वेबसाइट :** www.cityunionbank.com

मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी

مولانا آزاد نیشنل اُردو یونیورسٹی

MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
गाचीबावली, हैदराबाद–500032, तेलंगाना राज्य

प्रवेश अधिसूचना : 2023–24

शैक्षिक वर्ष 2023–24 के लिए विश्वविद्यालय द्वारा इसके हैदराबाद मेन कैम्पस तथा अनुषंगी कैम्पसेज, अध्यापक शिक्षा कालेजों (सीटीई'ज) तथा पॉलिटेक्नीक्स में प्रस्तावित नियमित मोड के पीएच.डी., पोस्ट ग्रेजुएट, बी.एड., बी.टेक. और डिप्लोमा/सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित हैं।

ऑनलाइन आवेदनों के प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम तिथि

28–05–2023 प्रवेश परीक्षा के माध्यम से

- पीएच.डी प्रोग्राम्स : उर्दू, अरबी, अंग्रेजी, हिन्दी, फारसी, अनुवाद अध्ययन ; महिला अध्ययन, लोक प्रशासन, राजनीतिक विज्ञान, सामाजिक कार्य, इस्लामी अध्ययन, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, दक्षिण अध्ययन ; शिक्षा ; पत्रकारिता एवं जन संचार ; प्रबंधन, वाणिज्य, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणि विज्ञान, कम्प्यूटर साइंस, उर्दू संस्कृति अध्ययन, तुलनात्मक अध्ययन।
- पी जी प्रोग्राम्स : एमबीए ; एमसीए ; एम.टेक (कम्प्यूटर साइंस), एम.एड. तथा बी.एड.
- यू जी प्रोग्राम्स : बी. टेक (कम्प्यूटर साइंस), बी. टेक सीएस (लेटरल एंट्री)
- प्रोफेशनल डिप्लोमा : प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.एल.एड.) ; पॉलिटेक्नीक–इंजीनियरिंग में डिप्लोमा–सिविल, कम्प्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन, सूचना प्रौद्योगिकी, यांत्रिकी, वैद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल तथा अपैरल टेक्नोलॉजीज तथा पॉलिटेक्नीक–डिप्लोमा लेटरल एंट्री

24–07–2023 योग्यता क्रम के माध्यम से प्रवेश

पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स : उर्दू, अंग्रेजी, हिन्दी, अरबी, फारसी में एम.ए. ;अनुवाद अध्ययन, महिला अध्ययन, लोक प्रशासन, राजनीतिक विज्ञान, इस्लामी अध्ययन, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, विधि–अध्ययन; एमएसडब्ल्यू (सामाजिक कार्य), पत्रकारिता एवं जन संचार ; एम.कॉम, एम.एससी. (गणित) एम.एससी. (भौतिकी), एम.एससी. (रसायन विज्ञान), एम.एससी. (वनस्पति विज्ञान), एम.एससी. (प्राणि विज्ञान), एम. वोक (एमआईटी) तथा अध्यापन अंग्रेजी में पीजी डिप्लोमा (पूर्ण कालिक)

पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम्स (अंशकालिक) : फंक्शनल उर्दू, हिन्दी तथा अनुवाद, प्रोफेशनल अरबी, अनुवाद

डिप्लोमा प्रोग्राम्स (अंशकालिक) : तहसीन–ए–ग़ज़ल, अरबी, फारसी, पश्तो, फ्रेंच, रशियन, इस्लामिक अध्ययन

सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स (अंशकालिक) : उर्दू में सर्टिफिकेट कोर्स, अरबी, फारसी, पश्तो, फ्रेंच, रशियन, तेलुगू, कश्मीरी, टर्किश में दक्षता

नोट : आवेदक 10वीं/12वीं/ग्रेजुएशन स्तर में उर्दू एक विषय के रूप में अथवा एक माध्यम के रूप में अथवा समतुल्य मदरसा कोर्स एमएएनयूयू द्वारा अनुमोदित अनुदेश के माध्यम के रूप में उर्दू के साथ उत्तीर्ण कर चुके हों। सभी प्रोग्राम्स उर्दू माध्यम में प्रस्तावित हैं।

सभी प्रोग्राम्स में प्रवेश एमएएनयूयू कैम्पस, हैदराबाद में प्रस्तावित हैं, यदि अन्यथा वर्णित नहीं है।

अन्य कैम्पसेज में प्रोग्राम्स :

1. **लखनऊ कैम्पस :** उर्दू, अंग्रेजी, अरबी तथा फारसी में एम.ए. तथा अंग्रेजी, उर्दू, अरबी एवं फारसी में पीएच.डी.
2. **श्रीनगर कैम्पस :** अर्थशास्त्र, इस्लामी अध्ययन, उर्दू, फारसी तथा अंग्रेजी में एम.ए. ;उर्दू, अंग्रेजी, इस्लामी अध्ययन एवं अर्थशास्त्र में पीएच.डी.
3. **अध्यापक शिक्षा कैम्पस भोपाल (मध्य प्रदेश), दरभंगा (बिहार)** – शिक्षा में बी.एड., एम.एड. तथा पीएच.डी.।
4. **अध्यापक शिक्षा कैम्पस श्रीनगर (जे एवं के) आसनसोल (पश्चिम बंगाल), औरंगाबाद (महाराष्ट्र राज्य) , सम्भल (उत्तर प्रदेश), नूह (हरियाणा) तथा बीदर (कर्नाटक राज्य)–बी.एड.। ('एनसीटीई अनुमोदन प्राप्तहोने पर ही ऑफर की जाएगी)**
5. **पॉलिटेक्नी इंजीनियरिंग डिप्लोमाज :** – सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, कम्प्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा (**दरभंगा, बिहार तथा बेंगलुरू, कर्नाटक राज्य** में) ; सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, मेकैनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, इलेक्ट्रीकल तथा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, अपैरल टेक्नालॉजीज में डिप्लोमा (**कडापा, आंध्र प्रदेश में**) ; सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, मेकैनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, इलेक्ट्रीकल तथा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा (**कटक, ओडिशा** में).

केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। **ई–विवरणिका तथा ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक उपलब्ध कराए जाएंगे।** अतिरिक्त विवरण अथवा किसी स्पष्टीकरण के लिए, कृपया admissionsregular@manuu.edu.in को ई–मेल करें। सामान्य पूछताछ के लिए प्रवेश हेल्पडेस्क से सम्पर्क करें : 6207728673, 9866802414, 6302738370, 8527164610 एवं 8178388177

विभिन्न प्रोग्राम्स में प्रवेश हेतु एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी/ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों हेतु आरक्षण भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार होगा। सीमित छात्रावास व्यवस्था उपलब्ध है।

नोट : एमएएनयूयू द्वारा प्रस्तावित यूजी प्रोग्राम्स में प्रवेश साझा विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से है, जो राष्ट्रीय परीक्षा अभिकरण द्वारा संचालित की जाएगी।

01 मई, 2023 — manuu.edu.in — रजिस्ट्रार, एमएएनयूयू

उत्तर रेलवे

ई–खुली निविदा सूचना

पत्र संख्या :– 128–डब्ल्यू/269/निविदा सूचना/23–24/डब्ल्यू–ई/टेंडर नं. 08
दिनांक 01.05.2023

मंडल अभियंता सम्पदा, उत्तर रेलवे, नई दिल्ली द्वारा निम्न कार्यों के लिए खुली निविदा दिनांक 25.05.2023 को 15:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। जो उसी दिन तत्काल खोली जाएगी।

GEM निविदा संख्या	GEM/2023/B/3398723
कार्य का नाम	सहायक मंडल अभियंता/सम्पदा–। के अंतर्गत वरिष्ठ खंड अभियंता/पहाड़गंज के कार्य क्षेत्र में 30 महीने की अवधि के लिए – करनैल सिंह स्टेडियम के लिए साफ–सफाई, हाउसकीपिंग, लिनन की धुलाई की आपूर्ति सहित व्यापक हाउसकीपिंग की आउट सोर्सिंग के कार्य हेतु।
अनुमानित लागत	रुपये 24497992.92
धरोहर राशि	रुपये 272500.00
समापन अवधि	02 वर्ष 06 महीने

1. निविदा दिनांक 25.05.2023 को 15:00 बजे तक जमा की जा सकती है एवं तत्काल खोली जाएगी। 2. निविदा **www.gem.gov.in** पर उपलब्ध है। **1327/23**

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

परिशिष्ट IV A
नियम 8(6) का नियम देखे
अचल संपत्ति की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के नियम 8(6) के नियमों को पढ़ते हुए सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रशन ऑफ फायनांशियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के अधीन अचल संपत्ति की बिक्री के लिए ई- निलामी बिक्री सूचना ।

सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं) तथा गॅरेन्टर (ओं) को सूचित किया जाता है कि निम्नवर्णित अचल संपत्ति जो सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी है, जिस पर सुरक्षित लेनदार अधिकृत अधिकारी **इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029)** **(सुरक्षित लेनदार द्वारा)** द्वारा **रचनात्मक कब्जा** लिया जा चुका है, को **09.06.2023** को दोपहर **02.00** से **04.00** बजे तक **''जहां है'', ''जैसा है''** और **''जो कुछ भी है''**,की वसूली के लिए ऋण खाता नं. **HHLDMT00456395** के लिए रू. **35,18,693/- (रुपए पैंतीस लाख अठारह हजार छ सौ तिरानवे मात्र)** के लिए **21.04.2023** तक बकाया मूलधन, बकाया (विलंब शुल्क के समेत) और ब्याज ऋण समझौते तथा अन्य सम्बन्धित ऋण दस्तावेजों के संदर्भ में लागूभावी ब्याज तथा कानूनी व्यय और अन्य खर्चों के साथ **22.04.2023** से प्रभावी जो **अनिल पांडे और नेहा पांडे** पर सुरक्षित लेनदार द्वारा बकाया है की वसूली के लिए बेचा जाएगा ।

अचल संपत्ति की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य **रू.35,00,000/- (रुपए पैंतीस लाख मात्र)** होगा और अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (ईएमडी) **रू.3,50,000/ - (रुपए तीन लाख पचास हजार मात्र)** यानि आरक्षित मूल्य के **10%** के बराबर होगा ।

अचल संपत्ति का वर्णन

संपुर्ण तल मंजिल (रूफ राइट्स के बिना), संपत्ति नं. WZ-197/2B, प्लॉट नं. VA-8 के भाग पर बना, एरिया मापित 66.6 स्के.यार्डस, खसरा नं.783, 784 और 775 में से, तिहाड़ गाँव में स्थित, विरेन्दर नगर से पहचाने जाने वाली कॉलोनी, गली नं. 3-A, नई दिल्ली-110058, और जो निम्नुंसार परिबद्ध है:

पूर्व: रोड — **पश्चिम:** अन्य की संपत्ति
उत्तर: गली — **दक्षिण:** 15 फीट चौड़ा रोड

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तो के लिए कृपया सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट यानि www.indiabullshomeloans.com पर दिए गए लिंक को देखे और बोली लगाने के लिए www.auctionfocus.in पर लॉग ऑन करें। — **सही/-**

दिनांक: 29.04.2023 — **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान : नई दिल्ली — **इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड**

सार्वजनिक नोटिस

जनसाधारण को यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित आवेदक/आवेदकों ने नीचे सारणी के स्तम्भ-3 में उल्लिखित सम्पत्ति, जो प्राधिकरण की आवासीय योजना के अन्तर्गत स्थित है, का अंतरण/नामान्तरण अपने नाम कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया हैं।

क्र. सं.	आवंटी/ पट्टेदार का नाम	भूखण्ड सं./ योजना का नाम	आवेदक का नाम	आवेदक का पता एवं दूरभाष संख्या	नामान्तरण का आधार	पट्टाधृत/ पूर्ण स्वामित्व युक्त सम्पत्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री कैलाश चन्द शर्मा पुत्र श्री कृपाशंकर शर्मा	R-6/46 राजनगर	श्रीमती सुधा शर्मा पत्नी स्व. श्री सुधांशु शर्मा	R-6/46 राजनगर, गाजियाबाद मो. 9350566478	आवंटी श्री कैलाश चन्द शर्मा की मृत्यु दिनांक 13.04.2017 को होने के कारण	फ्री-होल्ड

यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त भूखण्ड के अन्तरण/नामान्तरण के विरूद्ध कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्तियां सहायक दस्तावेजों सहित इस नोटिस के प्रकाशित किये जाने के दिनांक से 30 दिन के भीतर अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत कर सकते है, अन्यथा स्तम्भ-4 में अंकित व्यक्ति के नाम से सम्पत्ति का अन्तरण/नामान्तरण प्राधिकरण के अभिलेखों में दर्ज कर दिया जायेगा और कोई पश्चात्वर्ती दावा, यदि कोई हो, ग्रहण नहीं किया जायेगा।

सहायक प्रभारी सम्पत्ति
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद

कार्यालय ग्राम पंचायत चिटहैरा, विकास खण्ड दादरी गौतमबुद्धनगर

पत्रांक :मीमो/निविदा/ग्रा.पं.चिटहैरा/2023-24 — दिनांक :02.05.2023

अल्पकालीन निविदा सूचना

ग्राम पंचायत विकास योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य हेतु एस.बी.एम फेज-2/पन्द्रहवे वित्त/राज्य वित्त की धनराशि से कार्य प्रस्तावित है

क्र. सं.	कार्य का विवरण	सामग्री का विवरण	सामग्री की अनुमानित लागत
1	जितेन्द्र से नहर तक इंटरलॉक	40 मी.	299000
2.	पीकू से मेन रोड तक इंटरलॉक	50 मी.	499000
3.	सुजीत से मैन रोड तक इंटरलॉक	60 मी.	395000
4.	चामुण्डा से मैन रोड तक इंटरलॉक	15 मी.	145000
5.	लाला से मैन रोड तक इंटरलॉक	40 मी.	280000
6.	पशु हॉस्पिटल में मिट्टी भराव	-	155000
7.	कस्तूरबा गांधी बाउण्ड्रीवाल	-	478000
8.	तालाब जीर्णोद्वार	-	699000
9.	गुरूबचन से प्रकाश तक इंटरलॉक	20 मी.	80000
10.	गुरवचन से प्रकाश तक नाली	20 मी.	180000

माधो सिंह — **श्रीमती नेहा**
सचिव — **प्रधान**
ग्राम पंचायत चिटहैरा — **ग्राम पंचायत चिटहैरा**
विकास खण्ड दादरी — **विकास खण्ड दादरी**